



कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, औरैया
संख्या /203 /जि0आ0अ0-औरैया/दुकान-व्यवस्थापन/2018-19/दिनांक 29-3-18
-: आवश्यक सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 हेतु निर्गत आबकारी नीति में निहित प्राविधानानुसार जनपद औरैया की विदेशी मदिरा दुकान अयाना एवं रुरुगंज का व्यवस्थापन दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर प्रथम चरण में 14 दिवस हेतु या स्थाई व्यवस्थापन होने तक जो भी पहले हो की अवधि के लिया किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	दुकान का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस	वार्षिक लाइसेंस फीस का 1/365 वां भाग दैनिक लाइसेंस फीस
1	2	3	4
1	रुरुगंज	1090000	2987/-
2	अयाना	945000	2590/-


उक्त तालिका के स्तम्भ 04 में उल्लिखित धनराशि के आधार पर सर्वोच्च ऑफर स्वीकार होंगे। इच्छुक आवेदक अपना प्रस्ताव कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, औरैया में दिनांक 31-03-2018 को शायं 04 बजे तक मुहरबन्द लिफाफा में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस आवेदक का सर्वोच्च ऑफर प्राप्त होगा उसे उक्त दुकानों को दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित करने हेतु अधिकृत होगा। उपरोक्त के सम्बंध में अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी औरैया/आबकारी निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।


(ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय)
जिला आबकारी अधिकारी


(श्रीकान्त मिश्रा)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
औरैया

1204-08 औरैया
पृ० पत्र सं० /2017-18/तददिनांकित।

- प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 1- आबकारी आयुक्त, उ०प्र० इलाहाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 2- संयुक्त, आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, आगरा।
 - 3- उप आबकारी आयुक्त, कानपुर प्रभार, कानपुर।
 - 4- आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1, औरैया।
 - 5- विज्ञापन प्रभारी, अमर उजाला/दैनिक जागरण को उक्त विज्ञापित दिनांक 30-03-2018 को प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराकर नियमानुसार देयक 02 प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें।


(ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय)
जिला आबकारी अधिकारी
औरैया